

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

10.06.2025 प्रार्थीगण राजपाल पुत्र श्री जयमलराम व अन्य जाति जाट निवासीयान 18 जी. जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद में राज्य सरकार को 60 दिवस पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है क्योंकि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण को विना नोटिस दिये दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। इसलिए प्रार्थीगण को 60 दिवस पूर्व राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को नोटिस प्रेषित करने की वाध्यता से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80(2) जाब्ता दिवानी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10/06/25

